अपर समाहर्त्ता, दुमका का न्यायालय

आर0एम0पी0 वाद सं0–04/2011–12

शैलेश कापरी, ग्राम–रसिकपुर (तेलीपाड़ा), दुमका –बनाम–चारू केवट, पिता–स्व0 जागेश्वर केवट, गिधनी पहाड़ी दुमका।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
18.10.25	**आदेश** प्रस्तुत आर0एम0पी0 वाद सं0–04/2011–12 शैलेश कापरी, ग्राम–रसिकपुर (तेलीपाड़ा), दुमका के द्वारा उपायुक्त, दुमका को संबोधित जमाबन्दी जमीन को बसौड़ी जमीन बनाकर बेचने से संबंधित आवेदन पत्र के आधार पर प्रारंभ किया गया है। श्री शैलेश कापरी द्वारा अपने आवेदन पत्र में वर्णित किया गया है कि जमाबन्दी नं0 40 मौजा नया दुमका नं0 7 सर्कल दुमका सबडिविजन वो जिला दुमका गत् सर्वे मोती केवट माखन केवट, संतोखी केवट, जगेश्वर केवट एवं बक्सर केवट के नाम से पर्चा में दर्ज है तथा पर्चा में उक्त जमीन किस्म जमाबन्दी रैयत है। रकवा 1 बीघा 4 कट्ठा 16 धुर किस्म धानी दाग नं0 45 एवं 46 है। उक्त जमीन के खतियानी रैयत को अनुमण्डल पदाधिकारी दुमका E.A. Case No. 39/57–58 के आदेश दिनांक 02/09/1960 के द्वारा उच्छेदित कर दिया गया। तत्पश्चात चारू केवट पिता स्व० जागेश्वर केवट ने जमीन वापसी के लिए आवेदन दिया। अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका ने उपरोक्त वाद में अपने उक्त जमीन चारू केवट के पक्ष में वापस कर दिया, तत्पश्चात अंचल अधिकारी के नामान्तरण वाद संख्या 128/57–58 के द्वारा उक्त जमीन पर चारू केवट का नाम दर्ज कर दिनांक 16.03.1962 को कोर्ट अमीन द्वारा बसगड़ी कराया गया। जिसकी सम्पुष्टि अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका ने दिनांक 30.04.1962 को किया है। अंचल कर्मचारी ने उक्त जमीन किस्म बसौड़ी बताया है, जो गलत है। उसी के आधार पर तत्कालीन अंचल अधिकारी, दुमका ने उक्त जमाबन्दी के दाग नं0 45 एवं 46 रकवा 1 बीघा 4 कट्ठा 16 धुर को बसौड़ी में बदल कर चारू केवट के नाम से दर्ज कर दिया जो संताल परगना कास्तकारी अधिनियम का उल्लंघन है। उक्त नामान्तरण के बाद चारू केवट के नाम से उक्त जमीन का खजाना बसौड़ी कह कर काटा जाने लगा। चारू केवट ने उक्त जमीन का विक्रय आठ भिन्न–भिन्न लोगों के साथ वर्ष 2004 में कर दिया है जिसके आधार पर अंचल कार्यालय में केता के पक्ष में नामान्तरण भी किया गया। उपरोक्त तथ्यों से विदित होता है कि चारू केवट ने अंचल कार्यालय के कर्मचारियों एवं पदाधिकारी से साठ–गाँठ करके जमाबन्दी जमीन को बसौड़ी में गलत तरीके से बदल कर भिन्न–भिन्न लोगों के पक्ष में बिक्री कर करीब 25,00,000.00 (पच्चीस लाख) रूपया का भूमि घोटाला किया है। आवेदक के द्वारा विक्रय किया गया विषयगत जमीन से विपक्षी को उच्छेद करते हुए उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। इस संदर्भ में विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचल अधिकारी, दुमका से प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, दुमका के पत्रांक–669/रा0, दिनांक–03.07.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा नया दुमका नं0–07 के गेंजर सर्वे खतियान में विषयगत भूमि जमाबन्दी नं0–40, दाग सं0–45 रकवा 00–18–03 (अठारह कट्ठा तीन धुर) एवं दाग सं0–46 रकवा 00–06–13 (छः कट्ठा तेरह धुर) कुल रकवा–1 बीघा 04 कट्ठा 16 धुर जमीन मोती केवट पिता चन्दु केवट वो माखन केवट वो संतोकी केवट वो जागेश्वर केवट वगैरह के नाम पर दर्ज है। प्रजा का किस्म जमाबन्दी रैयत है। अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय के ई0ए0 केस नं0–39/57–58 द्वारा चारू केवट पिता– जागेश्वर केवट के नाम से जमाबन्दी नं0–40 के दाग सं0–45 एवं 46 का कुल रकवा–01 बीघा 04 कट्ठा 16 धुर भूमि	

प्राप्त है, का उल्लेख अंचल अधिकारी, दुमका के नामान्तरण वाद सं0–128/1984–85 आदेश दिनांक–24.03.1985 में प्रतिवेदित है।

विपक्षी के द्वारा समर्पित लिखित बहस में वर्णित है कि विपक्षी अरविन्द कापरी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में वे कही भी शामिल नहीं है। उन्हें यह भी जानकारी नहीं है कि विपक्षी चारू केवट अपने जीवनकाल में उस भूमि के मालिक थे या नहीं।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। स्पष्ट है कि मामला प्रश्नगत भूमि पर हक, अधिकार एवं स्वामित्व से संबंधित विवाद का है, जिसका निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतएव उभय पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में जा सकते है।

इस समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

8/10/25

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

8/10/25

अपर समाहर्त्ता,
दुमका

Digitally signed by RAJIV KUMAR
Date: 2025.12.01 12:30:10 +05:30
Location: 192.168.29.220